संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ
Sanjay Gandhi Post Graduate Institute of Med. Sciences,
Raibareli Road, Lucknow- 226 014 (U.P.), INDIA
Phones: 0522-2668004-8,2668700-800-900, Fax: 91-0522- 2668017,2668078

पत्रांक–पी0जी0आई0 / मु0चि0अ0 / अधि0 / 506 / 2023 दिनांक : 8/2 जनवरी, 2023

कार्यालय आदेश

प्रदेश के चिकित्सा संस्थानों / विश्वविद्यालयों / मेडिकल कॉलेजों में एम0सी0आई0 / एन0एम0सी0 मानको की पूर्ति एवं सम्बद्ध चिकित्सालयों के सुगम संचालन के लिए न्यूनतम आवश्यक मानव संसाधन के पदों के सृजन हेतु शासनादेश दिनांक 05.09.2022 द्वारा निर्धारित मानदण्डों के अनुसार एस0जी0पी0जी0आई0, लखनऊ में गैर–शैक्षणिक संवर्गो के पदों का सृजन शासनादेश सं0–150 / 2022 / I / 250055 / 2022 फाईल सं0–71–2001 / 1 / 2021 दिनांक 19.12.2022 द्वारा निम्नलिखित शर्तो / प्रतिबंधों के अधीन किया गया है:–

क. पदों पर भर्ती की प्रक्रिया तभी प्रारम्भ की जाएगी, जब वास्तविक कार्यात्मक आवश्यकता हो तथा यदि पूर्व से पद रिक्त हो तो प्राथमिकता पर पहले उन्हें भरने की कार्यवाही की जाएगी।

ख. यदि कोई ऐसा पद पूर्व में सृजित है, जो उक्त मानक में नहीं है, तो शासनादेश दिनांक 05.09.2022 के प्रस्तर–2(12) के अनुसार ऐसे पदों को कार्यरत कर्मचारियों की सेवा निवृत्ति के साथ शून्य / समर्पित किए जाने की कार्यवाही की जाएगी।

ग. यदि संस्थान में अधिसंख्य पद सृजित है, तो उनको समायोजित कर लिया जाए।

घ. पदों में मानकीकरण से सम्बन्धित शासनादेश संख्या–110 / 2022 / 96 / 71–2099 / 753 / 2021 दिनांक 05.09.2022 में निर्गत दिशा–निर्देश एवं शर्तो / प्रतिबंधों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

2– इस संबंध में होने वाला व्यय एस0जी0पी0जी0आई0, लखनऊ हेतु सुसंगत मद में प्राविधानित बजट के सापेक्ष वहन किया जाएगा।

3– यह आदेश चिकित्सा शिक्षा विभाग के मानकीकरण से सम्बन्धित शासनादेश संख्या–110 / 2022 / 96 / 71–2099 / 753 / 2021, दिनांक 05.09.2022 में निर्गत दिशा–निर्देश के अंतर्गत निर्गत किए जा रहे है।

उक्त शासनादेश के अनुसार पदों का सृजन अधोलिखित तालिका के अनुसार किया गया है, इस तालिका के कॉलम सं0–4 पर अंकित पदों की संख्या के अनुसार सम्बन्धित पद पर भर्ती / पदोन्नति की कार्यवाही शासी निकाय की 94वीं, 95वीं एवं 96वीं बैठकों द्वारा अनुमोदित अर्हता, अनुभव एवं भर्ती प्रकिया के आधार पर सुनिश्चित की जाएगी।

Sl. No.	Name of Cadre	Name of Post/Pay scale	Requirement as per Mankikarn G.O. dated 05.09.2022	Total Post			स्वीकृत पद
				Sanctioned	Filled-up	Vacant	
1	2	3	4	5	6	7	8

सृजित पदों पर भर्ती / पदोन्नति की कार्यवाही करते समय शासनादेश दिनांक 19.12.2022 में उक्त अंकित शर्तो एवं प्रतिबंधों को संज्ञान में रखा जाएगा।

उक्त शासनादेश में यदि किसी संशोधन/परिवर्तन की आवश्यकता प्रतीत होती हो तो इस संबंध में प्रस्ताव मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/संयुक्त निदेशक (प्रशा0) द्वारा संगत तथ्यों का उल्लेख करते हुए प्रस्ताव अधोहस्ताक्षरी से अनुमोदित कराकर चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन को प्रेषित किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा।

(प्रो0 राधा कृष्ण धीमन)
निदेशक

प्रतिलिपिः–

1. मुख्य चिकित्सा अधीक्षक।
2. चिकित्सा अधीक्षक।
3. अपर निदेशक।
4. वित्त अधिकारी।
5. संयुक्त निदेशक (प्रशा0)।
6. विभागध्यक्ष, बी0एच0आई0 कृपया इस आदेश को संस्थान की वेबसाईट पर कर्मचारियों/अधिकारियों के सूचनार्थ अपलोड करवाना सुनिश्चित करायें।
7. वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, सामान्य प्रशासन।
8. वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, अ0 प्रशासन।
9. प्रशासनिक अधिकारी, अ0 प्रशासन।

(प्रो0 राधा कृष्ण धीमन)
निदेशक